

5

आदेश
की तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभियुक्ति

18/07/17

आदेश

प्रस्तुत वाद सं०-3/14-15 लकेश्वर यादव बनाम शिव साव वगै०, मौजा-टंडवा, थाना नं०-32, खाता नं०-69 एवं 87, प्लॉट नं०-96 एवं 99, रकबा-2.28 एकड़ भूमि पर संदेहात्मक वाद अंचल अधिकारी प्रतापपुर द्वारा थाना प्रभारी प्रतापपुर के ओ० आर० 489/14 दिनांक 30.04.2014 से भूमि मापी हेतु पत्र के आधार पर संधारित किया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी प्रतापपुर के द्वारा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की माँग किया गया।

अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के न्यायालय में वाद की सुनवाई के पश्चात् उक्त प्रश्नगत भूमि से संबंधित अभिलेख एवं पंजी-ii कार्यालय पत्रांक-682 दिनांक 20.12.2016 से कायम जमाबंदी को अवैध बताते हुए जमाबंदी रद्द करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। पुनः अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखते हुए उभय पक्षों को अपने दावे के समर्थन में मूल कागजातों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्षों द्वारा कागजातों की छायाप्रति न्यायालय में अवलोकन/जमा किया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों की परीक्षण एवं राजस्व कर्मचारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक प्रतापपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं विचारन से निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं :-

1. सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जमाबंदी संधारित नहीं किया गया है। पंजी-ii में नेमु गोप पिता- विशुन गोप के नाम कायम जमाबंदी में प्राधिकार कॉलम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

2. प्रथम पक्ष के द्वारा 1950 का हुकुमनामा की छायाप्रति दिखाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि हुकुमनामा फर्जी तरीके से बनवाया गया है। उक्त भूमि का अवैध तरीके से लगान रसीद निर्गत किया जाना किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं है।

3. जमींदारी उन्मूलन 01.01.1946 के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में लगान रसीद/जमाबंदी कायम करने का प्रावधान है।

BLR Act 1950 के आत्मा को चोट पहुचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की जमाबंदी कायम किया गया। यह जमाबंदी BLR Act 1950 के सुसंगत प्रवधानों के विपरित कायम किया गया।

अतः BLR Act 1950 की धारा 4 (H) के तहत संधारित जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अपर समाहर्ता, चतरा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार समाहर्ता,
चतरा।

हस्ताक्षरित

भूमि सुधार समाहर्ता,
चतरा।

C.C. 18/07/17